

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प रोडकला

373
6/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रोडकला व भू-अभिलेख निरीक्षक गुडला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आगरी तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 89 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	आगरी	89	फूस्या पिता जेदा पमार सा. डेह	फूस्या पिता जेदा जारक सा. डेह

रोडकला
06/06/18
(उपखण्ड अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प रोडकला
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : - 374-76
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 6/6/18

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।